

मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 24.08.2017

संशोधित-आदेश


क्र. 133/एफ 5-6/17/42-1

राज्य शासन एतद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 5-6/2017/42-1 दिनांक 31-7-2017 में निम्नानुसार संसोधन किया जाता है:

कंडिका 2.3 के आगे निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है:-

“परन्तु, ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका 3.1 से कंडिका 3.4 तक में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, तथा जिन्होंने वर्ष 2016 के पूर्व से ही इस कंडिका में उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किए हो, वे भी इस योजना में पात्र होंगे।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सभाजीत यादव)


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास  
विभाग

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(सभाजीत यादव)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास  
विभाग